

राजस्थान सरकार
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक:- ई-33/लै.टे/ /2018/

दिनांक :

आदेश

श्री राजेश कुमार नागर, लैब टेक्नीशियन अधीनस्थ एस.एम.एम. चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय जयपुर को दिनांक 22.01.2018 से 26.01.2018 तक (5 दिवस) विदेश यात्रा कोलम्बो (श्रीलंका) जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अध्याधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

1. विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. निर्धारित समय अवधि पूर्ण होने पर कर्मचारी को यथा शीघ्र अपने मूल पद पर उपस्थिति प्रस्तुत करनी होगी।
3. विदेश में आवास की अवधि में कर्मचारी देशद्रोह से संबंधित गतिविधियों में भाग नहीं ले सकेगा।
4. विदेश गमन के दौरान कर्मचारी वहां पर आजीविका से संबंधित कोई कार्यकलाप नहीं करेगा।
5. विदेश जाने से पूर्व नियमानुसार अवकाश स्वीकृत कराकर ही प्रस्थान करेगे।

EB

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0, जयपुर।

क्रमांक:- ई-33/लै.टे./1190/2018/54

दिनांक : 19/01/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधानाचार्य सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय जयपुर।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रतापगढ़।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, क.नं. 302, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
4. श्री राजेश कुमार नागर, लैब टेक्नीशियन को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0, जयपुर।